संख्या:12/2017/408**/33-3-2017-110/2012**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग**-3** लखनऊ दिनांक: **22** मार्च, **2017**

विषय: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत खुले में शौचमुक्त **ODF** ग्रामों की स्थिरता **Sustainability** के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या**-3062/33-3-2015-110/2015** दिनांक **16.11.2015** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रामीण**)** योजनान्तर्गत खुले में शौच से मुक्त **(ODF)** हेतु विस्तृत मार्ग-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में अग्रतर यह अवगत कराना है कि श्री परमेश्वरन अय्यर सचिव, भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या**-2/2/S(DWS)/2017** दिनांक **16.01.2017** के साथ संलग्न श्री निपुन विनायक निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रामीण**)**, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक **15.12.2016 (**प्रतियां संलग्न**)** द्वारा खुले में शौच से मुक्त **(ODF)** ग्रामों की स्थिरता **(Sustainability)** के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देशिका प्रसारित की गयी है।

3- स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रामीण**)** का प्रमुख उद्देश्य ग्रामों को खुले में शौचमुक्त बनाना है। इस हेतु ओडीएफ के मानदण्डों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से ओडीएफ ग्रामों को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है**:-**

"खुले में शौच से मुक्त ***(****ओडीएफ****)*** *का तात्पर्य मल का मुख तक संचरण रोकना है, जिसमें* ***(ODF is the termination of faecal- oral transmission, defined by:)***

1)-*वातावरण****/****ग्राम में कोई मल दृष्यमान न हो, एवं*

(No visible faeces found in the environment /village; and)

2)-*प्रत्येक परिवार के साथ-साथ सार्वजनिक* ***/****सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मानव मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का प्रयोग किया जा रहा हो।*

Search easily www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasnadeshup.nic.in

(Every household as well as public /Community Institutions using safe technology options for disposal of faeces)

सलाह-सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का अभिप्राय ऐसी तकनीकी से है, जिससे सतही मिटटी, भूगर्भ जल तथा धरातल पर उपलब्ध जल प्रदूषित न हो, मल तक मक्खियों एवं जानवरों की पहुँच न हो एवं किसी प्रकार की बदबू एवं गन्दगी से मुक्ति हो।
(Tip- Safe technology option means no contamination of surface soil, ground water or surface water, excreta inaccessible to flies and animals, and freedom from odour and unsightly condition)"

4- प्रदेश के बहुत से ग्रामों/ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं को खुले में शौच से मुक्त **(ODF)** घोषित किया जा रहा है। इन ग्रामों के सत्यापन हेतु शासनादेश संख्या-**1910/33-3-2016-110/2012** दिनांक **13.07.2016** द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। आप अवगत हैं कि ओडीएफ स्तर प्राप्त करने के लिए समुदाय के व्यवहार परिर्वतन हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। पूर्व में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजनान्तर्गत घोषित निर्मल ग्रामों के पुन: खुले में शौच की स्थिति में आने के प्रकरण सामने आये हैं। अत: इन अनुभवों के आधार पर इस प्रकार की गतिविधियां अपनायी जानी आवश्यक हैं, जिससे की पुन: खुले में शौच की स्थिति **(Slippages)** उत्पन्न न हो।

5- अत: ओडीएफ ग्रामों/ग्राम पंचायतों में ओ.डी.एफ. की स्थिरता **(Sustainability)** बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित गतिविधियां सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है-

<u>(क)-ओ.डी.एफ की उपलब्धि में समुदाय की पूर्ण भागीदारी</u>

ओ.डी.एफ. की स्थिरता हेतु प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता ओडीएफ के नियोजन एवं उपलब्धि की प्रक्रिया में समुदाय की प्रभावशाली सहभागिता है। इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण समुदाय, जिसमें महिलायें एवं बच्चे विशेष रूप से सम्मिलित हों, पंचायतीराज संस्थाओ एवं राय निर्माताओं **(Opinion Readers)** की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सामूहिक व्यवहार परिर्वतन के साथ स्वच्छता सुविधाओं की मांग का सृजन **(Demand generation)** हो न कि आपूर्ति संचालित **(Supply driven)** प्रक्रिया अपनायी जाये। इस उद्देश्य से सीएलटीएस विधा को प्रभावी करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में ग्रामीण समुदाय के समक्ष खुले में शौच रोकने से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि ग्रामीण समुदाय ओडीएफ स्तर को बनाये रखने हेतु स्वयं जिम्मेदारी का वहन करें। ओडीएफ ग्राम की स्वयं के स्तर पर घोषणा निगरानी समितियों के इस प्रमाण-पत्र के उपरान्त ही की जाएगी कि ग्राम में कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है और निगरानी समितियों द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रात: काल एवं सायं काल निरन्तर फालोअप के उपरान्त ही दिया जाएगा।

Search easily on www.bharatyashasanadesh.org
http://shasnadeshup.nic.in

(ख)-कठोर ओ.डी.एफ. सत्यापन

ओ.डी.एफ. की स्थिरता हेतु दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता सत्यापन है, जिसमें भारत सरकार की गाइड लाइन्स दिनांक **03** सितम्बर, **2015** एवं शासनादेश संख्या- **1910/ 33-3-2016-110/2012** दिनांक **13.07.2016** में निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाये। पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि ओडीएफ की घोषणा केवल निगरानी समितियों के प्रमाणित करने के उपरान्त ही की जाये कि ग्राम में कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। यदि ओडीएफ की घोषणा में इस महत्वपूर्ण आधार की उपेक्षा होगी तो प्रारम्भ से ही ओडीएफ की स्थिरता संदिग्ध होगी। ओडीएफ के सत्यापन में दो अनिवार्य मानको को अवश्य देखा जाए कि वातावरण/ग्राम में कोई मल दृष्यमान न हो तथा प्रत्येक परिवार के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मानव मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का प्रयोग किया जा रहा हो। ओडीएफ का सत्यापन कम से कम दो बार किया जाएगा। पहला सत्यापन घोषणा के तीन माह पर तथा दूसरा सत्यापन पहले सत्यापन के छः माह बाद। प्रत्येक जनपद इस हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा प्रातः एव सायंकाल टीमें भेजकर औचक निरीक्षण भी करायेंगे। इस प्रक्रिया में सत्यापन की व्यवस्था में लगे व्यक्तियों की निष्ठा एवं स्वतंत्रता के साथ-साथ उनका प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ओडीएफ के सत्यापन में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये गये हैं, जिसका पालन आवश्यक है। सम्बन्धित अधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाये कि यदि सत्यापन की प्रक्रिया में निर्धारित मानको का पालन न करके लापरवाही बरती गयी तो वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

ओडीएफ प्रक्रिया के गुणवत्तापरक मूल्यांकन के उद्देश्य से यह भी आवश्यक होगा कि ऐसे जनपद जहाँ उक्त प्रक्रिया कठोरता एवं सफलापूर्वक अपनाई जा रही है वहाँ के अनुभवों को अन्य जनपदों के साथ बाटा जाए। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक **16.11.2015** में थर्ड पार्टी सत्यापन किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग)-ओ.डी.एफ. ग्रामों में गतिविधियों की निरन्तरता

यह भी आवश्यक होगा कि ओडीएफ की घोषणा के उपरान्त **09** माह तक (प्रथम सत्यापन के तीन माह तक उसके **06** माह उपरान्त द्वितीय सत्यापन तक) जिला स्वच्छता समिति सम्बन्धित ग्राम के निरन्तर सम्पर्क में रहकर निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों/ कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित कराएं:-

- ओडीएफ उपरान्त गतिविधियां **(ODF plus activities):** पेयजल, पेयजल श्रोतों एंव सार्वजनिक जल निकायों की सफाई, विकेन्द्रित रूप से ठोस एवं द्रव्य

Search easily www.bharatiyashasanadesh.org
http://shasnadeshup.nic.in

अपशिष्टों का प्रबन्धन, **3Rs (Reduce, Recycle, Reuse)**, नालियों, स्कूल एवं आंगनवाड़ी शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव, हैण्ड-वाशिंग के साथ-साथ व्यक्गित स्वच्छता को बढ़ावा, विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन से पूर्व हाथ धोना, गड्ढ़ों को खाली करने में तथा मल कीचड़ प्रबन्धन **(Faeces sludge management)** विशेष तौर पर सेप्टिक टैंक शौचालयों हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करना आदि का क्रियान्वयन किया जाए। उक्त सभी गतिविधियों को स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की गाइड लाइन्स एवं अन्य योजनाओं के संसाधनों को एकस्थ **(Converge)** करके किया जाएगा। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक के साथ-साथ उक्त गतिविधियों पर गहनता से चर्चा की जाए, जिन्हें ग्राम में संचालित किया जाना है।

- सामाजिक विकास से सम्बन्धित गतिविधियां यथा नशा-बन्दी, दहेज उन्मूलन, जुआ विरोध, सभी को शिक्षा, बाल विवाह, दिव्यांगों को सुविधाएं, कौशल विकास गतिविधियां एवं वृक्षारोपण आदि ।
- ओ.डी.एफ. ग्रामों में अन्य विकास योजनाओं को प्राथमिकता देना- (उदाहरण स्वरूप पेयजल योजनाएं, आन्तरिक मार्ग, वाटर शेड एवं आवास आदि) भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि ओडीएफ ग्रामों में केन्द्र वित्त पोषित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार द्वारा भी संचालित योजनाओं को ओडीएफ ग्रामों में उनकी मार्ग निर्देशिका के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
- ग्राम सभा की बैठक में सामाजिक आडिट एवं ओडीएफ की स्थिरता पर चर्चा।

(घ)-प्रेरकों का उन्मुखीकरण

उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रेरकों/चैम्पियन्स का उन्मुखीकरण किया जाए तथा उनके लिए प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु सक्षम बनाया जा सके। इसी प्रकार ओडीएफ की स्थिरता के सम्बन्ध में जिला कन्सलटेन्ट एवं खण्ड प्रेरकों की भूमिका का भी पुर्ननिर्धारण सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें भी इस हेतु उत्तरदायी बनाया जा सके।

(ङ)-स्थिरता बनाए रखने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

जिला स्वच्छता समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा ओडीएफ की स्थिरता **(Sustainability)** हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- ओडीएफ की उपलब्धि पर "गौरव यात्रा" का आयोजन ग्राम/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। यह गौरव यात्रा ओडीएफ घोषणा के उपरान्त प्रतिमाह **09** महीनों तक आयोजित की जाए।

Search easily www.bhartiyashasnadesh.org
http://shasnadeshup.nic.in

- ओडीएफ समारोह को एक समाजिक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में विभिन्न त्यौहारों/उत्सवों के साथ एकबद्ध किया जाए।
- ग्राम में प्रतिवर्ष ओडीएफ उपलब्धि दिवस को एक समारोह के रूप में आयोजित किया जाए।
- ओडीएफ की स्थिरता हेतु ग्राम पंचायत में क्या करें तथा क्या न करें का प्रस्ताव पारित किया जाये। इसमें ऐसे व्यक्ति जो खुले में शौच जाएं उन पर जुर्माना राशि तथा समुदाय के दबाव का तरीका तय किया जाए ताकि उन्हें खुले में शौच से रोका जा सके।
- ग्राम सभा बैठक के एजेण्डा में ओडीएफ की स्थिरता को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये।
- ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित कराये कि पंचायत क्षेत्र में बनने वाले नये आवासों में शौचालय की अवश्य व्यवस्था हो। साथ ही साथ ग्राम में आने वाले अतिथियों /प्रवासियों (**Visitors/migrants**) जिसमें मुख्य रूप से अस्थायी आबादी (**Floating population**) के रूप में फसल की कटाई एंवं ईट भट्ठों पर कार्य करने वाले श्रमिक सम्मिलित है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था की जाए।
- ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाए जिनमें पुनः खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति का विकास हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ग्राम पंचायत द्वारा निरन्तर सम्पर्क रखा जाए।
- विभिन्न मेलों एवं समारोह में स्वच्छता सुविधाओं पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- ऐसे स्थलों को जहाँ पर खुले में शौच किया जाता है, चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जाए, जिसमें पवित्र देवार्पित (**Sacred**) वृक्षों को भी लगाया जा सकता है ताकि उस स्थल पर पुनः खुले में शौच न किया जा सके।
- जिला स्वच्छता समिति द्वारा विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रेरकों एवं समुदाय के प्राकृतिक नेतृत्व (**Natural Leaders**) को सम्मिलित कर विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। यह टास्क फोर्स सामयिक बैठकें कर यह देखेंगी कि ओडीएफ की स्थिरता हेतु ग्राम में क्या प्रयास किये जा रहे हैं। ओडीएफ की स्थिरता पर दृष्टि रखने हेतु मीडिया का भी सहयोग लिया जाए।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasnadeshup.nic.in

(च)-निगरानी समितियों, प्राकृतिक नेतृत्व की नित्य भूमिका(Continual role)

निगरानी समितियों, प्राकृतिक नेतृत्व एवं पचांयत प्रतिनिधियों जिनकी ग्राम को ओडीएफ स्तर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, द्वारा ओडीएफ घोषणा के कम से कम **09** माह बाद तक निरन्तर प्रात: एवं सायंकाल फालोअप किया जाये। इनको दूसरे ग्रामों में भी ट्रिगरिंग कार्य हेतु लगाया जा सकता है। जिला स्वच्छता समिति इनके साथ समय-समय पर बैठकें कर उनके भूमिका अन्य विकास कार्यो में भी सुनिश्चित कर सकती है। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की ओर से राज्य एव जनपद स्तर से संचालित **Whatsapp group** के माध्यम से विभिन्न ग्रामों की सफलताओं को भी शेयर किया जाए।

(छ)-स्कूल एवं आगंवाडी का सहयोग

जनपद स्तर पर जिला स्वच्छता समिति द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका ओडीएफ की स्थिरता हेतु निर्धारित की जाए। ग्राम स्तर पर स्कूल शौचालयों एवं आगंनवाड़ी शौचालयों के रख-रखाव की समीक्षा ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक-शिक्षक एसोसिएशन की बैठक में की जाए। ओडीएफ की स्थिरता गतिविधियों हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा निरन्तर बच्चों के साथ चर्चा की जाए। स्कूल सैनिटेशन क्लब की गतिविधियों की भी निरन्तरता बनाये रखी जाए।

(ज)-प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था

स्वच्छता से जुड़े चैम्पियन्स एवं उत्कृष्ट कार्यकताओं के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था की जाए तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से अच्छा कार्य करने हेतु सम्मानित किया जाए। जिला स्वच्छता समिति समय-समय पर ऐसे आयोजन सुनिश्चित करें।

अत: मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेश निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ओडीएफ स्तर को प्राप्त कर सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2-स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3-स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

Search easily on www.bharatyashashadesh.org
http://shashadeshup.nic.in

4-मिशन निदेशक**,** स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रामीण**)** उ**0**प्र**0**।

5-निदेशक**,** पंचायतीराज विभाग**,** उ**0**प्र**0**।

6-समस्त मुख्य विकास अधिकारी**,** उ**0**प्र**0**।

7-समस्त मण्डलीय उप निदेशक**(**पं**0),** उ**0**प्र**0**।

8-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी**,** उ**0**प्र**0** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(जोगेन्द्र प्रसाद **)**

उप सचिव।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasnadeshup.nic.in